न्यायालय तहसीलदार, चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी ::: बृजेश कुमार (R.T.S.)

मिसल नं. ::: 07/2017

सरकार बनाम महावीर पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी बजावा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 03.05.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल महावीर पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी बजावा द्वारा ग्राम बजावा की भूमि ख.नं. 524 कुल रकबा 3.43 हैक्टे. किस्म गै.मु.जोहड़ में से 0.05 हैक्टै पर पक्का ढारा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल उपस्थित। गैर सालय ने जबाब पेश किया कि मैने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है।

निर्णय हेतु पत्रावली में रिपोर्ट पटवारी एवं गैर सालय द्वारा प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी पर भू.अ.निरीक्षक मण्ड्रेला द्वारा भी जॉच की जाकर रिपोर्ट पटवारी की पुष्टि की है। अतः रिपोर्ट पटवारी को सही एवं गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब को सही नही मानते हुये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाना उचित पाता हूँ। साथ ही प्रश्नगत भूमि की किस्म गै. मु. जोहड़ है जो माननीय उच्च न्यायालय की रीट सं. 1536/2003 अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान सरकार वगैरह के निर्णय से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिस पर अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए गैर सायल को उक्त विवादित रकबे पर अतिचारी घोषित किया जाता है एवं बेदखली आदेश दिया जाता है तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 3 रू. पैनेल्टी आरोपित की जाती हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करवाई जावें। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
तहसीलदार चिड़ावा
तहसीलदार चिड़ावा
जिला–झुन्झुनूं